

प्रेस नोट थान गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 28.09.2024

जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के उल्लंघन करने के आरोप में 01 नफर जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व उ0नि0 विवेक सिंह मय पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी वीरेन्द्र चौहान जिसको जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में दिनांक 27.05.2024 से 06 माह तक के लिए आमद कराकर जिला बदर किया गया था, जो वर्तमान समय में जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घर तुरहाबारी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में रह रहा था। अभियुक्त उपरोक्त को जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लंघन करने पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वीरेन्द्र चौहान पुत्र मैनेजर चौहान निवासी तुरहाबारी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक का इतिहास-

1. मु0अ0सं0 210/2022 धारा 147,148,149,307,504,506,34 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 522/2024 धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशि भूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी विकास नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. कां0 दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर